



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179763

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 930/2007

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि.

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राम नरेश एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : नागेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सतीश चतुर्वेदी

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हैं। दोबारा पुकार में भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2- यह वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2006 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अपर जनपद न्यायाधीश (न्यायालय संख्या 1), इलाहाबाद द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 831 सन् 2001 (राम नरेश सिंह एवं अन्य बनाम ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय को अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है। आक्षेपित दिनांक 16.12.2006 के निर्णय द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को दावेदारों को रु. 2,71,000/- की क्षतिपूर्ति 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है।

3- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतका मुन्नी देवी अपने पुत्र पी.डब्ल्यू.- 2 राम मिलन, श्रीमती प्रेमादेवी, सीता देवी और संतरा देवी के साथ दिनांक 21.8.2001 को टेम्पो संख्या यू.पी. 70 टी 8492 में अपने घर लौट रही थी। यात्रा के दौरान उक्त टेम्पो की टक्कर दुर्घटनाकारक वाहन टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 से हो गई। उक्त दुर्घटना, जो दिनांक 21.8.2001 को हुई थी, के संबंध में थाना सराय इनायत, जिला इलाहाबाद में धारा 279, 337,



338 और 304-ए आई.पी.सी. के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 181 सन् 2001 में दिनांक 28.1.2002 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि दुर्घटना टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाए जाने के परिणामस्वरूप हुई। तथापि, जब पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन का न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षण किया गया, तो उसने इसके विपरीत कथन किया और कहा कि लापरवाही टेम्पो संख्या यू.पी. 70 टी 8492 के चालक द्वारा की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि विवेचना पूरी होने के पश्चात् विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। विवेचना के दौरान तैयार किया गया साइट प्लान भी टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक की ओर से लापरवाही को इंगित करता था। तथापि, विद्वान न्यायाधिकरण ने पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन के बयान पर भरोसा करते हुए इसके विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किए और अभिनिर्धारित किया कि, यदि कोई लापरवाही की गई थी, तो वह टेम्पो संख्या यू.पी. 70 टी 8492 के चालक द्वारा की गई थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध हैं और पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन के बयान पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था, जिसने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि लापरवाही टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक द्वारा की गई थी। पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र की उपेक्षा करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष असंधारणीय हैं। पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन की गवाही भरोसा किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसने घटना के पश्चात् स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित बात के विपरीत कथन किए हैं। अतः, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपास्त किए जाने योग्य हैं।

4- विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय दिनांक 16.12.2006 का परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि इस मामले में घटना के उसी दिन पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो दुर्घटना के समय स्वयं टेम्पो संख्या यू.पी. 70 टी 8492 में सवार था। वही व्यक्ति था जिसने कथित दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपनी लिखित रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख



किया था कि कथित दुर्घटना पूर्णतः टाटा सूमो संख्या यू.पी. 44 ए 7889 के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। तथापि, उसने न्यायाधिकरण के समक्ष इसके विपरीत कथन किया, जिसमें उसने कहा कि कथित दुर्घटना टेम्पो संख्या यू.पी. 70 टी 8492 के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाए जाने के कारण हुई थी, जिसमें वह अन्य यात्रियों, जिनमें मृतका मुन्नी देवी भी सम्मिलित थी, के साथ यात्रा कर रहा था। अतः, ऐसे साक्षी का कथन, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथनों के विपरीत है और वास्तव में उन कथनों से पलटने के समान है, विश्वसनीय नहीं है। ऐसे साक्ष्य को किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

5- यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन सिंह द्वारा दुर्घटना के दिन ही तत्काल दर्ज कराई गई थी और सात दिनों के विलंब के पश्चात् नहीं, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। पी.डब्ल्यू.-2 राम मिलन सिंह न केवल घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, बल्कि वह सूचनाकर्ता भी था, जिसने उक्त दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतः यह नहीं माना जा सकता कि दुर्घटना किस प्रकार हुई, इस संबंध में उसे कोई संदेह था। अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा किए गए अभिकथनों का उसका स्पष्ट खंडन उसे अविश्वसनीय और किसी भी विश्वास के योग्य नहीं बनाता है। उसके साक्ष्य पर आधारित विद्वान न्यायाधिकरण का निष्कर्ष भी संधारणीय नहीं है। अतः, उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, इस न्यायालय का मत है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय अपास्त किए जाने योग्य हैं।

6- तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है और आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय अपास्त किए जाते हैं।

25 अगस्त, 2026

उज्ज्वल

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)